15

न्यायालय श्रीमान म•प्र•राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर म0 प्र0

1-पूरनलाल तनय स्व•श्री फुल्लू रजक

2-श्रीमति जशोदाबाई पत्नी आशाराम रजक

निवासियान ग्राम सुणानपुरा तह• वल्देवगढ

जिला टीकमगढ म•प्र•

.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1-महिला सुधा पत्नी स्व•श्री लक्ष्मन रजक

2-कुमारी अनुराधा पुत्री स्व•श्री लक्ष्मन रजक

निवासियान ग्राम सुणानपुरा तह• वल्देवगढ

जिला टीकमगढ म•प्र•

3-सुभाषचन्द्र जैन नोटरी एडवोकेट तह•वल्देवगढ

निवासी हिमांचल की गली टीकमगढ तह•व जिला

जिला टीकमगढ म•प्र•

4-म0 प्र0 शासन राजस्व

.....रिस्पोडेंटगण

पुनरीक्षण प्रति आदेश अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ जिला टीकमगढ के राजस्व प्रकरण क्रमांक- 110/अपील/2013-14 आदेश दिनांक 8•12•2015 के जिसके अनुसार आवेदन अन्तर्गत धारा-5 परिसीमा अधिनियम का बिना पर्याप्त आधारो के स्वीकार किये जाने के कारण :-

पुनरीक्ष अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता पुनरीक्षण के माध्यम से सादर निम्नप्रकार विनयी है:-

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. 28-II/15 ..... जिला टीकमगढ़ .....

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 12-1-16 | प्रकरण में निराकार पत्र के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए तथा उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया गया।<br><br>SDO द्वारा आक्षेपित आदेश दि. 8.12.15 द्वारा दि. 3-11-09 को पारित नामान्तरण आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत किए जाने में हुए लगभग 5 वर्ष के विलम्ब को माफ़ किया है। SDO ने अभयपत्र के तर्कों का विवरण लिखते हुए न्याय की दृष्टि से विलम्ब माफ़ किया है।<br><br>प्रकरण में विचारोपरान्त मेरा यह मानना है कि SDO के समक्ष अभी अभयपत्र को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है। विलम्ब माफ़ी के आदेश से किसी भी पक्षकार के वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित हो गए हों, ऐसा नहीं माना जा सकता। अतः, SDO द्वारा न्याय की दृष्टि से किया गया विलम्ब माफ़ी का आक्षेपित | |

[कृ. प. उ.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | आदेश यथावत रखा जाता है एवं SDO बल्देवगढ़ को यह निर्देश दिया जाता है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को पक्षसमर्थन का समुचित अवसर देते हुए एवं तर्कों एवं बिन्दुओं को आदेश में सम्मिलित कर उनकी विवेचना करते हुए, बोलते स्वरूप का आदेश पारित करें। इस प्रकार प्रकरण में गुणदोष पर अपना आदेश, SDO बल्देवगढ़, रा.मं. के इस आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम चार माह के भीतर पारित करना सुनिश्चित करें। निगरानी अग्राह्य। पक्षकार एवं तहसीलदार बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। | |
| | (हस्ताक्षर) 12-1-16 (सदस्य) | |